30-5-18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम कोर्ट मांडल में पेश हुई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पार्टी के प्रार्थना-पत्र आज्ञा निषेधाज्ञा से सम्बन्धित बाद तथा स्थायी निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है। मूल वाद के निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभय-पक्षों को अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाना न्यायोचित है। अतः पार्टी का प्रार्थना-पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा मूल वाद के निस्तारण तक उभयपक्षों को आज्ञा निषेधाज्ञा से सम्बन्धित आदेश से प्रतिबन्धित किया जाता है कि ग्राम पंचायत तहसील दौसा में स्थित भूमि ख.नं.130 रकबा 0.45 है. तथा ख.नं.112 रकबा 0.53 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.67 है. भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रकरण कैम्प मुकाम दौसा नम्बर से क्रम है तथा बाद तकमील प्रविष्ट लिखनयोग्य है एवं मूलवाद के समान है। निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम कोर्ट मांडल के समक्ष आज में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर